राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिका) विभाग

क्रमांकःप.6(5)(12)का./क–3/शिका/12 जयपुर, दिनांकः 13/12/16

आदेश

राजकीय विभागों में ठेकेदार/सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कार्यरत संविदाकर्मिकों के द्वारा अपराधिक कृत्य कारित किये जाने के संबंध में उनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के बारे में दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं कि संविदाकर्मियों की सेवाऐं संबंधित ठेकेदार/सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही समाप्त की जा सकती हैं, यदि विभागों द्वारा संविदाकर्मियों से सीधी ही संविदा करके सेवा में रखा गया हैं, तब संविदा की शर्तों का उल्लंघन होने/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में संविदा को निरस्त किया जा सकता हैं, जिसके फलस्वरूप संविदाकर्मी की सेवाऐं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। संविदाकर्मी राजस्थान सेवा नियम–1951 के अन्तर्गत नियमित राज्य सेवक नहीं होने के कारण उनकी सेवाऐं राज्य सरकार के स्तर से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती हैं।

अतः संविदाकर्मियों के द्वारा किये गये अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 197 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी के स्तर से अभियोजन की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती तथा पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीधे ही माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान पेश कर सकते हैं।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, प्रथम/द्वितीय, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/समागम आयुक्त/विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)।
5. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव